समाचार

कलेक्टर ने नियमितीकरण के 183 प्रकरणों को दी स्वीकृति, आज 61 प्रकरण स्वीकृत किए गए

(अनियमित विकास के नियमितीकरण की शासन की योजना का लाभ उठाने लोगों से की अपील)

(जिला नियमितीकरण प्राधिकारी समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न)

कोरबा 23 फरवरी 2023 – कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने आज जिला नियमितीकरण प्राधिकार की द्वितीय बैठक में नियमितीकरण के 61 प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की, इनमें से नियमों के तहत 10 प्रकरण निःशुल्क तथा 51 प्रकरण में शास्ति अधिरोपित कर स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि इसके पूर्व की बैठक में 122 प्रकरण को नियमितीकरण किया गया था। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि शासन द्वारा अनियमित विकास के नियमितीकरण के दिए गए इस विकल्प का लाभ उठाएं तथा किए गए अनियमित निर्माण के नियमितीकरण हेतु अनिवार्य रूप से अपने आवेदन जमा करे।

जिला कार्यालय स्थित कलेक्टर कक्ष में आज कलेक्टर एवं जिला नियमितीकरण प्राधिकारी श्री संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में नियमितीकरण प्राधिकार समिति की दूसरी बैठक आयोजित की गई, उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री उदयकिरण, निगम आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश आदि के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान समिति द्वारा 61 प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 01 प्रकरण को आयोग पाए जाने पर अस्वीकृत किया गया, स्वीकृत 61 प्रकरणों में 10 प्रकरण निःशुल्क तथा 51 प्रकरणों में शास्ति अधिरोपित कर स्वीकृति प्रदान की गई, इसके पूर्व जिला नियमितीकरण प्राधिकारी समिति की प्रथम बैठक 02 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें 122 प्रकरणों का नियमितीकरण समिति द्वारा

किया गया था, जिसमें 81 आवासीय, 22 गैर आवासीय भवन तथा 19 आवासीय भवनों का भूखण्ड क्षेत्रफल 1200 वर्गफिट से कम होने पर निःशुल्क स्वीकृत प्रदान की गई, इस प्रकार 146 आवासीय, 37 गैर आवासीय प्रकरणों का नियमितीकरण स्वीकृति दी गई, 01 आवेदन अस्वीकृत करते हुए कुल 184 प्रकरणों का निराकरण किया गया।